

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //


क्रमांक .....C/371...../

जबलपुर, दिनांक 18/01/2019

II-13-16/07

श्री सदाशिव जावड़े, जमादार (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 22.03.17 से 27.11.17 तक 251 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 28.11.17 से 26.02.18 तक 91 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार



(प्रकाश चन्द्र गुप्ता)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक.....C/372...../

जबलपुर, दिनांक 18/01/2019

II-13-16/07

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2386/इंदौर, दिनांक 30/11/2018 के सदर में श्री सदाशिव जावड़े, जमादार (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त) का आवेदन पत्र, अवकाश लेखा मूलतः एवं संलग्न सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न :-उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

\*\*\*\*\*